न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 111 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांट

1. मांगाराम पुत्र श्री पन्नाराम
2. सवाराम पुत्र श्री पन्नाराम जाति रबारी निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बाड़मेर राज.

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.बाबुलाल पुत्र श्री आसुराम
2.लिखमा पुत्र श्री आसुराम
3.कमली पुत्री श्री आसुराम
4.अपली पुत्री श्री आसुराम
5.पकली पुत्री श्री आसुराम
6.देराजराम पुत्र श्री नाथाजी जाति रबारी निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बाड़मेर राज.
7.राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 33/2016 बअनवान बाबुलाल वगै. बनाम मांगाराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2018 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री कैलाश पुरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बाबुलाल सांखला रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 30.05.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोडेंट संख्या 01 ता 05 ने एक राजस्व वाद अपीलकर्तागण व रेस्पोडेंट संख्या 06 के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि सरहद मौजा सिवाना के खेत खसरा संख्या 364 रकबा 05.06 बीघा रेस्पोडेंट संख्या 01 ता 05 की खातेदारी की आयी हुई है जिस पर वक्त सेटलमेंट से कब्जा काश्त है लेकिन प्रतिवादीगण अपीलकर्ता ने उक्त खातेदारी की भूमि पर करीब 01.10 बीघा भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर रखा है जिसको हटाने हेतु वाद पत्र पेश किया है। तथा नोटिस अपीलकर्तागण को प्रेषित किये, जिसमें जबाव हेतु अपीलकर्तागण ने समय चाहा दिनांक 13.04.2018 को उक्त पत्रावली कैम्प कोर्ट में रखी गई व जल्दबाजी में कैम्प कोर्ट में ही दिनांक 30.06.2018 को एकपक्षीय रूप में बिना प्रतिवादी को सुने बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया जिसके विरूद्ध अपील पेश की जा रही है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेसपोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व शिविर के नियमों को भी दरकिनार कर दिया। प्रशासन आपके द्वार में वे ही प्रकरण निर्णित किये जा सकेंगे जिसमें दोनो पक्ष आपसी सहमति से निस्तारण करवते हो। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण उपस्थित तक नहीं थे न हीं प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता को सूचित ही किया गया मात्र अवैध व अनुचित तरीके से निर्णय पारित कर कानून का घोर उल्लंघन किया गया। रेस्पोडेंटस की कृषि भूमि खसरा संख्या 364 सरहद सिवाना में आयी हुई है उसके बदिशा दक्षिण में अपीलकर्तागण की कृषि भूमि खसरा संख्या 365 नये खसरा संख्या 1644/365, 1643/365 आयी हुई है तथा विगत 100 वर्षों से कहीं अधिक पहले की माठ बनी हुई है तथा प्रतिवादीगण अपने हद की भूमि में ही 100 वर्षों पूर्व कानात बने हुये है जिसमें अपीलकर्तागणं का रहवास है लेकिन वादीगण अपीलकर्ता ने अपने अहम की तुष्टि हेतु गलत तौर से उक्त वाद पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। प्रकरण काफी पुराना चल रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम नोटिस भिजवाये जानबुझकर बावजूद तामील के न्यायालय में हाजिर नहीं हुए। अपीलांटगण द्वारा रेस्पोडेंटस की खातेदारी भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा जिसे बेदखल करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांटगण द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी सांचोर

न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण की तरफ से पैरवी करने हेतु अधिवक्ता मुकर्रर कर रखा था उसके बावजूद कई अवसर देने के पश्चात भी जवाब पेश नहीं किया गया जो पैरवी में उदासिनता को इंगित करता है। अपीलांटगण द्वारा खेत खसरा संख्या 364 जो रेस्पोडेंटस की खातेदारी का में अवैध कब्जा कर रखा जो तहसीलदार सिवाना की सीमाज्ञान की रिपोर्ट से प्रमाणित है। पत्रावली में पेशी दिनांक 26.03.2018 को दोनों पक्षों के वकील उपस्थित रहे तथा आगामी पेशी दिनांक 13.04.2018 पत्रावली वास्ते जबाव व बहस दरख्वास्त में नियत थी। तारीख पेशी दिनांक 13.04.2018 को पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य में व्यस्त होने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 30.06.2018 को मुकर्रर की गई जिसकी जानकारी अपीलांटगण को भली भांति थी उसके बावजूद जानबूझकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं रहे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांटगण के इस अनावश्यक आपत्तिपूर्ण रवैये का कोई अंत भी नजर नहीं आता है। जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। लिहाजा अपील अपीलांट खारिज करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 33/2016 बअनवान बाबुलाल वगै. बनाम मांगाराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2018 को यथावत रखा जाता है।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 30.05.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर